



0582

No 5537231

यात्री टिकट और सामान पत्र

Passenger Ticket and Baggage Check



सदस्य

जारीकर्ता Issued by



इंडियन एयरलाइन्स
Indian Airlines

अपनी टिकट को सावधानी से रखिये ।

खोए टिकटों पर धन की वापसी नहीं की जाती है ।

Ensure safe custody of your ticket.

No refund is permissible against lost ticket.

एयरलाइन्स हाउस, नई दिल्ली-110001

Airlines House, New Delhi - 110 001

सूचना :

वायु निगम अधिनियम की यथा संशोधित धारा (1971 का 49) की धारा 45 खण्ड (9) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इंडियन एयरलाइन्स (वहन की शर्तों) विनियम के अधीन गैर-अन्तर्राष्ट्रीय (यात्री और सामान) शर्तों के तहत यह विनियम बनाती है। ये विनियम इंडियन एयरलाइन्स गैर-अन्तर्राष्ट्रीय वहन (यात्री व सामान), 1989 के नाम से जाने जायेंगे। विमान - वहन के दौरान किसी यात्री की मृत्यु या घायल होने या किसी यात्री को कोई अन्य शारीरिक क्षति पहुँचने या उसके पंजीकृत सामान को हुए नुकसान के लिए निगम का दायित्व भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की 5.7.1980 की अधिसूचना संख्या ए. वी. 11012/5/79-ए, दिनांक 5.7.1980 में भारत के राजपत्र भाग-III खण्ड-3, उपखण्ड II) में प्रकाशित हुई है, और जिसे दिनांक 22.8.89 की अधिसूचना संख्या-ए वी 11012/5/79-द्वारा संशोधित किया गया है) और अधिसूचिता कुछ अपवादों, अनुक्तनों, रूपांतरों अर्द्ध के साथ वायु वहन अधिनियम, 1972 की धारा, 4.5.6 तथा द्वितीय अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों द्वारा अधिशासित होगा। इन विनियमों को इंडियन एयरलाइन्स के किसी भी कार्यालय में देखा जा सकता है।

विनियमों से उद्धरण

1. नियम बिना कोई कारण बनाए उड़ान के प्रारम्भ या उसके जारी रहने को रद्द करने उसमें विलम्ब करने या ठहरने के स्थान को बदल देने या यात्रा के मार्ग से विचलन करने या उपयोग में आ रहे वायुयान के प्रकार को बदलने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखता है। और उसमें वह नुकसान की रूप में या अन्यथा किसी भी आधार पर यात्रियों या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व उत्पन्न नहीं करेगा। निगम किसी ऐसे व्यक्ति वहन करने से इन्कार करने का अधिकार भी अपने पास आरक्षित रखता है जिसे वह यात्रा करने के लिए अयोग्य समझता है या निगम की राय में जिसके कारण वायुयान को या उस के व्यक्तियों को जोखिम हो सकता है।
2. यदि किसी प्रक्रम पर ग्रह पाया जाता है कि बुक किये गये सामान या यात्री आदि के कारण वायुयान पर भार अधिक हो जायेगा तो निगम को यह विनिश्चय करने का अधिकार होगा कि कौन से यात्रियों या वस्तुओं को उतार दिया जाएगा और ऐसा विनिश्चय अङ्कित होगा।
3. विमान द्वारा यात्रियों या सामान के वहन में विलम्ब के द्वारा नुकसान के लिए निगम दायी नहीं है।
4. निगम द्वारा जारी किया गया टिकट निगम द्वारा बनाए गए और तत्समय प्रवृत्त रद्दकरण के नियमों के अधीन रहते हुए होगा, जो निगम के किसी भी कार्यालय में अनुरोध करके देखे जा सकते हैं।
5. यात्रा की समाप्ति पर, रजिस्ट्रीकृत सामान की शिकायत के बिना रसीद इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी कि सामान का परिधान ठीक तौर से और अच्छी हालत में कर दिया गया हो।
6. किसी यात्री की मृत्यु हो जाने या किसी यात्री को हुई किसी शारीरिक क्षति या जख्म की दशा में, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थायी नियोज्यता पैदा होती है जिससे वह अपने प्राथमिक कारोबार या उपजीविका में लगे रहने में असमर्थ हो जाता है, प्रत्येक यात्री के लिए निगम का दायित्व, यदि दुर्घटना की तारीख को यात्री 12 वर्ष या अधिक आयु का हो तो 5,00,000 रु और यदि यात्री 12 वर्ष से कम आयु का है तो 2,50,000 रु होगा।

NOTICE:

The carriage hereunder is subject to Indian Airlines regulations relating to the conditions of Non-International Carriage (passenger and baggage) framed in accordance with the powers conferred by clause (g) of sub section (2) of section 4 of the Air Corporation amendment act 1971 (49 of 1971). These regulations are known as Indian Airlines Non-International carriage (passenger and baggage) regulation 1989. The liability of the Corporation for damage sustained in the event of death or wounding of a passenger, or any other bodily injury suffered by a passenger or by his registered baggage during course of carriage by air will be governed by the provisions of section 4, 5, 6 and the rules contained in the second schedule of carriage by air Act 1972 with certain exceptions, adaptations, modifications etc. as notified in the Govt. of India, Min. of Tourism & Civil Aviation notification No. AV 11012/5/79-A dated 5.7.1980 published in Part-II Section 3 subsection (i) of the gazette of India dated 19.7.1980 and amended vide Notification No. AV 11012/5/79 - A dated 22.8.89. These regulations can be seen at any Indian Airlines Office.

EXCERPTS FROM REGULATIONS

1. The Corporation reserves to itself the right, without assigning any reason, to cancel or delay the commencement of the flight or to alter the stopping place or to deviate from the route of the journey or to change the aircraft in use without thereby incurring any liability in damages or otherwise to the passengers or any other person on any ground whatsoever. The Corporation also reserves to itself the right to refuse to carry any person who considers unfit to travel or who in the opinion of the Corporation may constitute risks to the aircraft or to the person on board.
2. If at any stage it is found that the aircraft with the booked load or passengers etc will be over-loaded the Corporation will have the right to decide which passengers or articles shall be off-loaded and such decision shall be binding.
3. The Corporation is not liable for damage occasioned by delay in the carriage by air of passengers or baggage.
4. The ticket issued by the Corporation shall be subject to the rules of cancellation made by the Corporation for the time being in force which may be seen at any office of the Corporation on request.
5. Receipt without complaint of registered baggage on the termination of the journey shall be prime face evidence that the baggage has been delivered correctly and in good condition.
6. In the event of death of a passenger, or any bodily injury or wound suffered by a passenger which results in a permanent disablement incapacitating him from engaging in or being occupied with his usual duties or business or occupies the liability of the carrier for each passenger shall be Rs.5,00,000/- if the passenger is 12 years or more of age Rs.2,50,000/- if the passenger is below 12 years of age on the date of accident.

सामान में खतरनाक वस्तुएं

सुरक्षा की दृष्टि से यात्रियों को अपने सामान में खतरनाक वस्तुएं, जिनकी सूची नीचे दी गई है, नहीं ले जानी चाहिए।

DANGEROUS ARTICLES IN BAGGAGE

For safety reasons dangerous articles such as those listed below must not be carried in passenger's baggage.


कम्प्रेस्ड गैस—(अति प्रशीतित, ज्वलनशील, अज्वलनशील और विषैली) जैसे ब्यूटेन, ऑक्सीजन, तरल नाइट्रोजन, एक्वालंग सिलिंडर

Compressed gases - (Deeply refrigerated, flammable, nonflammable and poisonous) such as butane, oxygen, liquid nitrogen, aqualung cylinders,

कम्प्रेस्ड गैस सिलिंडर

Compressed gas cylinders

एक्वालंग
Aqualungs



संक्षारक जैसे तेजाब, क्षार, पारा और वेट सेल बैटरियां
Corrosives such as acids, alkalis, mercury and wet cell batteries

वेट सेल बैटरिया

Wet cell batteries

उपकरण जिसमें पारा है

Apparatus containing mercury



विस्फोटक, गोला-बारूद, पटाखे और अतिशबाजी
Explosives, munitions, fireworks, and flares

गोला-बारूद जिसमें आवाजी कारतूस शामिल है।

Ammunition including blank cartridges

हैंड गन

पटाखे

पिस्तौल कैप

Hand guns

Fireworks

Pistol caps



ज्वलनशील द्रव और ठोस जैसे लाइटर, ईंधन, माचिस, रंग, द्राक्क, फायर-लाइटर्स

Flammable liquids and solids such as lighter fuel, matches, paints, thinners, fire-lighters.

ऐसे लाइटर जिन्हें जलाने से पहले उल्टा करना पड़ता है।

Lighters that need inverting before ignition



माचिस अपने साथ ले जाई जा सकती है।
Matches may be carried on the person



लाइटर रिफिल

Lighter refills

लाइटर ईंधन

Lighter fuels



रेडियोएक्टिव पदार्थ

Radioactive materials

बीफकेस और अटैचियां, जिनमें अलार्म युक्तियां लगी हैं।

Brief-cases and attache cases with installed alarm devices.

ऑक्सीडाइजिंग पदार्थ जैसे ब्लीचिंग पाउडर पैरोक्साइड

Oxidising materials such as bleaching Powder peroxides



विष और संक्रामक तत्व जैसे कीटनाशी तृणनाशी और जीवित विषाणु युक्त पदार्थ

Poisons and infectious substances such as insecticides, weed killers and live virus materials.

अन्य खतरनाक वस्तुएं जैसे चुम्बकीय पदार्थ, समाक्रामक या उत्तेजक पदार्थ

Other dangerous articles such as magnetised materials, offensive or irritating materials.

सुरक्षा विनियम

सुरक्षा विनियमों के तहत यात्रियों को सलाह दी जाती है कि:-

SECURITY REGULATIONS

According to security regulations passengers are advised

- 1) किसी अपरिचित व्यक्ति से कोई पैकेट स्वीकार न करें।
- i) Not to accept any packets from unknown persons.
- 2) कभी भी, विशेषकर एयरपोर्ट क्षेत्र में अपने सामान को लावारिस न छोड़ें अन्यथा एयरपोर्ट/सुरक्षा स्टाफ द्वारा इसे संदिग्ध वस्तु मानकर हटाया जा सकता है।
- ii) Not to leave baggage unobserved at any time specially within airport area. Unattended baggage may be removed by Airport/Security Staff as object of suspicion.
- 3) यदि उनके पास कोई हथियार अथवा विस्फोटक सामग्री है तो इसकी घोषणा चौक-इन से पहले करें। इन्हें छुपाकर ले जाना, एयरकाफ्ट अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत अपराध माना जायेगा।

iii) To declare before checking-in, if carrying any arms or explosive substance. Concealment is an offence under Aircraft Act and Rules

4) हाथ के सामान में केवल एक वस्तु ले जाएं जिसका कुल माप (जैसे-लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई) 115 से.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iv) To carry only one hand baggage, the sum of the three dimensions (viz., Length, Breadth and Height of which should not exceed 115 cms)

5) "हाथ के सामान या किसी इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ले जाए जा रहे बैटरी सैल/ड्राई सैल को जब्त किया जा सकता है। एयरलाइन्स गंतव्य स्टेशन पर उसे वापस करने में असमर्थ है। इन्हें रजिस्टर्ड सामान में ले जाएं"।

v) "Battery Cells/Dry Cells carried in the hand-baggage or in any electrical / electronic items are liable to be removed and airlines would not be in a position to hand-over the same

at the destination. The same may be carried in registered baggage."

प्रतिबंधित सामान

यात्री केबिन में ड्राई सैल बैटारियां, चाकू, कैची, तेजधार वाले यंत्र, औजार, अग्नि शस्त्र, गोला बारूद तथा प्रतिध्वनि करने वाले खिलोनों को भी ले जाना मना है

PROHIBITED ARTICLES

Also carriage of dry cell batteries, knives, scissors, sharp instruments, tools fire arms, ammunitions, toy replicas is prohibited in the passenger cabin.

बहुमूल्य वस्तुएं

मुद्रा, कीमती धातु, आभूषण, विनिमय दस्तावेज, प्रतिभूतियां, व्यक्तिगत पहचान संबंधी कागज-पत्र और मूल्यवान वस्तुओं को यात्री केबिन में अपने साथ ले जाएं।

VALUABLE ARTICLES

Currency, Precious metals, Jewellery, Negotiable instruments, Securities,

personal identification documents and items of value are best carried with the passenger in the cabin.

नोट

सीमित मात्रा में दवाइयाँ और प्रसाधन का सामान जो यात्री के लिए यात्रा के दौरान आवश्यक या अपेक्षित हों, जैसे हेअर-स्प्रे, इत्र और अलकोहल युक्त दवाइयाँ, साथ ले जाई जा सकती है। सूची में दी गई इन कई वस्तुओं को एअर कार्गो के रूप में ले जाया जा सकता है, बशर्ते कि उनकी पैकिंग कार्गो विनियमों के अनुसार की गई हो।

NOTE

Medicines and toiletries in limited quantities which are necessary or appropriate for the passenger during the journey, such as hairsprays, perfumes and medicines containing alcohol may be carried. Many of these listed articles can be carried as air cargo provided they are packed in accordance with cargo regulations.

और अधिक जानकारी मांगने पर दी जा सकती है। Further information is available on request.

जारी कर्ता Issued by		प्रारंभ Origin		गन्तव्य Destination		0582 N ^o 5537231					
इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड दी गई शर्तों के अधीन Subject to conditions of contract		यान्त्री टिकट और सामान पत्र Passenger ticket and baggage check		संयोजित टिकट Conjunction ticket(s)				यात्रा कूपन Passenger Coupon		से/तक From / To	
यात्री का नाम Name of Passenger		अहस्तांतरणीय Not Transferable		जिसके बदले में जारी किया गया Issued in exchange for		एयरलाइन Carrier		प्रकार एवं क्रमांक Form and serial no		एयरलाइन Carrier	
										किराया हिसाब Fare Calculation	
जिस तिथि के पहले कूपन वैध नहीं 1 Coupons not valid before		2		मूल जारी कर्ता Original Issue		एयरलाइन Carrier		प्रकार एवं क्रमांक Form and serial no		स्थान तिथि एजेंट कोड Place Date Agent number code	
जिस तिथि के बाद कूपन वैध नहीं 1 Coupons not valid after		2		टिकट का प्रकार Ticket Designator		यात्रा कोड Tour code					
यात्रा के लिए वैध नहीं NOT GOOD FOR PASSAGE		किराया आधार Fare Basis		अनुमत Allow		एयरलाइन Carrier		उड़ान/श्रेणी Flight / Class		तिथि Date	
कहां से From				कि. ग्रा. Kgs.						स्थिति Status	
तक To				कि. ग्रा. Kgs.						जैसेट Agent	
तक To		सामान दर्ज गेर दर्ज Baggage checked UNCKD		साग PCS.		गैर दर्ज भार UNCK WT.		नाग PCS.		जारी करने की तिथि व स्थान Date and place of issue	
				भा. र. WT.				भा. र. WT.		से/तक From / To	
										एयरलाइन Carrier	
										किराया हिसाब Fare Calculation	
किराया Fare		दिया गया समतुल्य किराया Equiv. Fare Paid		अतिरिक्त पृष्ठांकन और निर्वंधन Endorsement / restrictions						किराया Fare	
अन्य प्रभार Other charges		योग Total								भुगतान का प्रकार Form of Payment	

निःशुल्क सामान की अनुमति

ग्रेड	वयस्क	बालक	शिशु
एकजीक्यूटीव (J)	30 किलो	30 किलो	शून्य
किफायती (Y)	20 किलो	20 किलो	शून्य

नग धारण से निःशुल्क सामान छूट इंडियन एयरलाइन्स को सब उड़ानों पर तभी स्वीकार्य है जब इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ान अमरीका/कनाडा को/से के पथ संयोजक समय 24 घंटे से कम हो एवं यात्री के पास पूर्णतया अंतरराष्ट्रीय टिकट हो।

निःशुल्क सामान की अनुमति के अतिरिक्त निःशुल्क ले जा सकने वाली वस्तुएं (सुरक्षा नियमों पर निर्भर)



ओवर कोट, शॉल या कंबल
An overcoat wrap or blanket



छतरी या छड़ी
An umbrella or walking stick



महिला हैंडबैग, महिलाओं की पॉकेट बुक या महिला-पर्स
A lady's handbag or lady's purse



उड़ान के दौरान पढ़ने के लिए उचित मात्रा में पठन सामग्री
A reasonable amount of reading matter for the flight



कोई छोटा कैमरा और/अथवा द्वर्बिन
A small camera and/or a pair of binoculars

रिपोर्टिंग समय

कृपया उड़ान के लिए पधारें हवाई अड्डे पर

एयरबस/बोइंग	उड़ान के निर्धारित समय से 75 मिनट पूर्व, सिवाय जम्मू, लेह और श्रीनगर जहाँ एयरबस उड़ानों के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले और बोइंग उड़ानों के निर्धारित समय से 90 मिनट पहले।
अन्य उड़ानें	उड़ान के निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व

उड़ान कूपन पर दर्शाये गए समय उड़ान के प्रस्थान समय है। आपसे प्रार्थना है कि आप एयरपोर्ट पर ऊपर दिए गए समय पर अवश्य पहुँचें। एयरपोर्ट पर आते ही कृपया इंडियन एयरलाइन्स के काउंटर पर औपचारिकता पूरी करने के लिए रिपोर्ट करें। अंतर्देशीय उड़ानों के चेक-इन-काउंटेर्स प्रस्थान के समय से 30 मिनट पूर्व बंद कर दिये जाते हैं। यात्रियों को उड़ान के प्रस्थान के समय से काफी पहले एयरपोर्ट पर पहुँच जाना चाहिए, वरना देर से पहुँचने के कारण उड़ान छूटने से यात्रियों को असुविधा हो सकती है।

पुनः आरक्षण पुष्टिकरण विनियम

वह यात्री जो एक समूह के रूप में यात्रा कर रहे हों, तथा वह वैयक्तिक रूप में यात्रा करने वाले यात्री जिन्होंने भारत के बाहर टिकट खरीदे हों, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वह अपनी वापसी अथवा आगे जाने वाली उड़ानों के लिये पुनः पुष्टिकरण करवा लें, यदि वह अपनी यात्रा 72 घंटे या अधिक के लिए पंग करते हैं। यदि इस दशा में पुनः पुष्टिकरण न कराया जाये, तो आरक्षण रद्द किया जा सकता है। 72 घंटे से कम समय के लिये यात्रा पंग होने पर पुनः पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं है।

FREE BAGGAGE ALLOWANCE

Class	Adult	Child	Infant
Executive (J)	30 kgs	30 kgs	Nil
Executive (Y)	20 kgs	20 kgs	Nil

Piece concept of Free Baggage Allowance is accepted on all Indian Airlines flights when connecting time between Indian Airlines flight and the international flight to/from USA/Canada is less than 24 hours and the passenger is holding a through international ticket

Articles which may be carried free in addition to the free baggage allowance.
(Subject to Security Regulations)



उड़ान के दौरान देने के लिए शिशु आहार, शिशु को ले जाने वाली बास्केट
Infant's food for consumption in flight, Infants carrying basket

पूरी तरह सिपटने योग्य अपंगों की व्हील चेयर अथवा एक जोड़ा वैसाखी और/अथवा बेसज या यात्रा के प्रयोग में आने वाला कोई अन्य कृत्रिम अंग, बशर्ते कि यात्री उस पर आश्रित हो
A fully collapsible invalid's wheelchair and/or a pair of crutches and/or braces or other prosthetic device for the passenger's use provided that the passenger is dependent upon them

REPORTING TIME Please check in, at the airport of embarkation.

For Airbus and Boeing Flights	75 Minutes before scheduled time of departure in case of Jammu, Leh and Srinagar airport 2hrs before scheduled time of departure for Airbus and 90 minutes for Boeing
-------------------------------	---

Other Flights 60 Minutes before scheduled time of departure

The times shown on the flight coupons are the flight departure times Passengers are requested arrive at the airport not later than the time stated on this page Upon arrival at the airport. Please report at the Indian Airlines counter to permit the completion of the formalities.

Check-in counters for domestic services are closed strictly 30 minutes before departure Passenger must report sufficiently in advance in order to avoid missing their flight and inconvenience on this account

Reconfirmation Procedure

Passengers booked to travel in groups and individual passengers who are ticketed outside India are advised to reconfirm their onward or return reservations on Indian Airlines services when they break journey for more than 72 hours at any of our stations, failure to reconfirmation at least 72 hours prior to departure in such cases may result in cancellation of the reservation. Reconfirmation is not necessary when a passenger breaks his journey at a point for less than 72 hours.